# डिस्क्लेमर

**अंतरिम आदेश संख्या 30/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

ऐरा /20010/एमवाईटीपी/एएसए/जीएच/श्रीनगर/सीपी-III/2021-26

**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**

*****

**आदेश संख्या 30/2022-23**

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003
जारी करने की तारीख: 01 दिसम्बर, 2022

| | |
|---|---|
| **सेवा** | **: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं** |
| **सेवा प्रदाता** | **: ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड** |
| **हवाईअड्डा** | **: शेख उल- आलम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर** |
| **हवाईअड्डा प्रचालक** | **: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** |

**मैसर्स ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीनगर अंतरराट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में**

**स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तुति**

मैसर्स ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड (एएसएपीएल) ने दिनांक 18.10.2022 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि मैसर्स सूर्या चेतन एविएशन हैंडलिंग सर्विसेज और मैसर्स एयरकैब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सहसंघ को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) चयन प्रक्रिया के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 10 वर्ष की अवधि के लिए चुन लिया गया है। तदनुसार दिनांक 13.04.2021 के "आशय पत्र" (एलओआई) के पैरा 5 के अनुसार विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) "एएसएपीएल" को 14.05.2021 को निगमित कर दिया गया है।

2. तत्पश्चात एएसएपीएल ने दिनांक 01.11.2022 की ई-मेल द्वारा प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि उन्हें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रस्तावित टैरिफ तदर्थ आधार पर वसूल करने की अनुमति दी जाए:

**(i)** एएआई द्वारा जारी दिनांक 13.04.2021 का एलओआई संख्या एएआई/ओपीएस/जीएचएस/14/बी3/2020/154

**(ii)** एसपीवी "ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड" का निगमन प्रमाणपत्र

**(iii)** नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति

**<u>प्राधिकरण द्वारा एएसएपीएल के अनुरोध की जांच:</u>**

3. प्राधिकरण नोट करता है कि एएआई (हवाईअड्डा प्रचालक) द्वारा मैसर्स सूर्या चेतन एविएशन हैंडलिंग सर्विसेज और मैसर्स एयरकैब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सहसंघ के पक्ष में जारी दिनांक 13.04.2021 के कार्य सौंपने के आशय पत्र (एलआईओए) के पैरा 5 के अनुसार "मैसर्स ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड (एएसएपीएल)" नामक एसपीवी को दिनांक 14.05.2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कर दिया गया है।

4 प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि एसपीवी "एएसएपीएल" ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 10.12.2021 के बीसीएएस के आदेश द्वारा बीसीएएस की सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है, जो सुरक्षा अनुमति जारी करने की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की अवधि तक वैध है। इसके अतिरिक्त मैसर्स एएसएपीएल ने दिनांक 01.11.22 की ई-मेल द्वारा एएआई और एएसएपीएल के बीच किए गए दिनांक 30.03.2022 के रियायत करार की प्रति प्रस्तुत की है।

5. नागर विमानन मंत्रालय के नॉन शेड्ल्यूड ऑपरेटर्स परमिट (एनएसओपी) और सामान्य विमानन (जीए) के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभारों के प्रावधान संबंधी दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के पत्र संख्या एवी-24032/184/2022-एएआई-मोका द्वारा जारी मंत्रालय के निदेशानुसार एएसएपीएल ने दिनांक 02.11.2022 की ई-मेल द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मदवार प्रभार भी प्रस्तुत किए।

6. प्राधिकरण एएसएपीएल के अनुरोध की जांच करने के बाद यह महसूस करता है कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत करने और स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया को पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा।

7. प्राधिकरण नोट करता है कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा अंतरदेशीय यात्री उड़ानों (विमान कोड 'बी' और 'सी') के लिए प्रस्तावित तदर्थ टैरिफ की दरें श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता, अर्थात एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल), द्वारा वसूल की जा रही टैरिफ से कम हैं।

8. प्राधिकरण, अंतरिम व्यवस्था के रूप में, यह ध्यान में रखकर कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता का श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शीघ्र ही अपने प्रचालन प्रारंभ करने का प्रस्ताव है, एएसएपील को प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023 तक या ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर संलग्नक 1 और 3 के अनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा यथा प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ वसूल करने के लिए अनुमति देने का निर्णय लेता है।

9. स्वतंत्र सेवा प्रदाता को प्राधिकरण को सूचना और रिकॉर्ड के लिए प्रचालन प्रारंभ करने की वास्तविक तारीख सूचित करने की सलाह दी जाती है।

10. प्राधिकरण मैसर्स एएसएपीएल को यह भी सलाह देता है कि वह श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर तदर्थ टैरिफ आदेश समाप्त होने से पूर्व ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए समय रहते नियमित एमवाईटीपी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

## आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड (एएसएपीएल) को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर **संलग्नक-I** और **-II** के अनुसार **सीओडी से 30.09.2023 तक**, **या** प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन शेड्ल्यूड और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, मद-वार प्रभार सहित, समान श्रेणी के विमान (नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्ल्यूड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) नीचे बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(v) मैसर्स एएसएपीएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एससीएस) प्रस्तुत करेगी।

(vi) मैसर्स ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.10.2022 के इसके पत्र संख्या एवी-24011/10/2021–एएआई-मोका द्वारा जारी निदेशों के अनुसार श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(vii) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

**प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता**

**(कर्नल मनु सूदन)**
**सचिव**

सेवामें,

**श्री मनदीप नेब,**
उपाध्यक्ष (प्रचालन एवं संविदा),
ऑरिया सिवसुर्केत्वका एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड,
अल शेख प्लाजा, मेन चौक, पीरगढ़, न्यू एयरपोर्ट रोड़,
श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर -190014

प्रतिलिपि सूचनार्थ,

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
3) हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बडगाम, जम्मू एवं कश्मीर -190007